

—सुमुक्ति—पत्र

1. संस्था का नाम : आशयाना रेजीडेंट्स सोसाइटी
 2. संस्था का पता : के-१६, आशयाना कालोनी, तहनउ-२२६०१२
 3. संस्था का कार्यधर्म : आशयाना कालोनी, तहनउ।
 4. उद्देश्य :

११। यहाँ के निवासियों को सहृद मुविधा एवं उसकी मरम्मत हेतु शासन स्तर व प्रत्येक अन्य स्तर पर कार्य कराने का प्रयास करना।

१२। कालोनी के विकास हेतु शासन, नगर महापालिका व अन्य सभी स्तरों पर कार्य कराने का प्रयास करना।

१३। पानी की निकासी व शिवर से सम्बन्धित व्यवधानों/निर्माण कार्य में शासन व अन्य सभी स्तरों पर कार्य कराने का प्रयास करना।

१४। पानी व बिक्री आपूर्ति में शासन व अन्य स्तर पर कार्य कराने का प्रयास करना।

१५। बालू एवं बालिकाओं हेतु खेलने हेतु मेटान उपलब्ध कराना।

१६। कालोनी के मार्गों पर प्रशान्ति व अन्य स्तर पर प्रकाश की व्यवस्था कराने का प्रयास करना।

१७। निवासियों के कल्याण के कार्यक्रम चलाना, व सामुदायिक केन्द्र के हेतु भवन अन्तर्ल हाउण्ड का० लि० से आवंटित कराने का प्रयास करना।

१८। शान्ति व्यवस्था कायम रखने में शासन का सहयोग देना।

१९। कालोनी निवासियों हेतु परिवहन व डाक तम्बन्ध मुविधाओं के विकास हेतु प्रयास करना।

२०। विशेष पर्वों पर कालोनी निवासियों के सम्मेलन का प्रवन्ध करना।

२१। इस कालोनी के निर्माण करता अन्तर्ल हाउण्ड का० लि० से उन मुविधाओं एवं मकानों में कमियों को पूरा कराने को उनसे अपेक्षित है।

२२। सामाजिक सौहार्द एवं पारस्परिक सामाजिक का प्रयास।

२३। अन्य जनहित कार्य, आम सभा की तहमति।

२४। संस्था के प्रबन्धकारियों समिति के पदाधिकारियों एवं उद्देश्यों के नाम पते पट तथा व्यवसाय जिनकों संस्था के इस स्मृति पत्र तथा नियमों के अनुसार संस्था का कार्यालय।

नाम	पिता/स्त्री	ज्ञान	वर्ग	उत्तरार्द्ध
देव्या	जा नाम			

तर्ज श्री

१. दे. सं. भारतीय	स्व. रमेश्वर प्रसाट	के - १६, खोरा,	अमृत	विधि दरामहात्मा
		ग्रामिणा गांवीनी	लकड़ी	
२. आर. ती. सिंह	स्व. श. स. स. सिंह	के ५, खोरा	•	मा की नीचरी
३. आर. के. हे	स्व. शी. ए. हे	के २७, गारु	•	संख्या वी
४. स. के. शाहे	श्री शू. के. शाहे	के १३०, खोरा,	•	शोभाल
५. राज चाहा	श्री राज्यनोहर सिंह	के २२७, खोरा	•	उमिटर
६. स. के. मिश्रा	* शी. ती. मिश्रा	के ११८, खोरा,	•	संख्या वी
७. पी. के. घोषा	श्री श. के. घोषा	के २३, खोरा,	•	अमार
८. अमृत दीप्ति	२३० श्री अमृतीदीप्ति	के १०-५६२ खोरा	•	
९. दे. दी. सिंह	स्व. श. स. सिंह	के ११२, खोरा,	•	लद्दाख निकात
१०. पी. के. वर्मा	स्व. श. पी. वर्मा	के १३६, खोरा	•	लद्दाख नीचरी
११. पी. ए. दात इन्द्र दीप्ति	के १२६६, गानेश्वर	•	लद्दाख	में निकात

- इस निम्नलिखित दस्तावेजों परिक्षा जरूर है जिसने इस उत्तरार्द्ध तथा लोकग
प्रियमाला के अनुसार तोताइटीय रायिट्रेन रखा, १८६० के अन्तर्गत इस तारीख का नहीं दिया है।
१. P.K. CHOPRA Slo. frist Choper, L-110KCALCUTTA, १८६०, लद्दाख नामगता
 २. R.K. DEY, K-79, Aashiana १८६०-१८
 ३. S.K. Panigrahi J-130 Aashiana १८६०-१८
 ४. S.K. Misra J-118 Aashiana १८६०
 ५. P.K. Varma ३-१९६ Aashiana १८६०
 ६. Rai Bahadur J-277 Aashiana १८६० Rai Bahadur
 ७. १८६० L. N. DAS / L. N. DAS.
 ८. R.C. Singh L-5, १८६० Aashiana १८६०
 ९. J.P. SINHA, J-112, Aashiana, १८६०
 १०. R.K. Chatterjee K-562 Basra, १८६०

अधिकारी

१८६०

नियमावली

1. संस्था का नाम आशियाना रेजीडेंट्स एसोसिएशन

2. संस्था का पूरा पता आशियाना कालोनी, के०-१६, लखनऊ
226002

3. संस्था का कार्य क्षेत्र आशियाना कालोनी क्षेत्र लखनऊ।

4. संस्था के उद्देश्य :-

 - 11। यहाँ के निवासियों को सड़क सुविधा एवं उसकी मरम्मत हेतु शासन स्तर व प्रत्येक अन्य स्तर पर कार्य कराने का प्रयास करना।
 - 12। कोलोनी के विकास हेतु शासन, नगर महा पालिका व अन्य सभी स्तरों पर कार्य कराने का प्रयास करना।
 - 13। पानी की क्षिक्षा व स्प्रिंगर से सम्बन्धित व्यवधानों /नियमों कार्य में शासन व अन्य सभी स्तरों पर कार्य कराने का प्रयास करना।
 - 14। पानी व विज्ञी आपूर्ति में शासन व अन्य स्तर पर कार्य कराने का प्रयास करना।
 - 15। बालक एवं बालिङ्काओं हेतु खेलने हेतु मैदान उपलब्ध कराना।
 - 16। कोलोनी के मार्गों पर प्रशासन व अन्य स्तर पर प्रकाश की व्यवस्था कराने का प्रयास करना।
 - 17। निवासियों के कल्याण के कार्यक्रम घलाना व सामुदायिक केन्द्र के हेतु भवन अन्तर्ल हा०रण्ड का० लि० से आवंटित करना।
 - 18। शान्ति व्यवस्था कायम रखने में शासन का सहयोग देना।
 - 19। कोलोनी निवासियों हेतु पंरिवहन व डाक सम्बन्धि सुविधाओं के विकास हेतु प्रयास करना।
 - 20। विशेष पर्वों पर कोलोनी निवासियों के सम्मेलन का प्रबन्ध करना।
 - 21। इस कालोनी के नियम करता अन्तर्ल हा०रण्ड का० लि० से उन सुविधाओं एवं मकानों में कमियों को पूरा कराना जो उनसे अपेक्षित है।
 - 22। सामाजिक सौदार्थ एवं पारस्परिक सामाजिक का प्रयास।
 - 23। अन्य जन वित कार्य, आम सभा की सहमति।

••••• 201

४२५ पतिलिपि

प्राप्ति रक्षण
वा वाचा दोषकै
११-०५-७७

5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग

प्राचीनता:

१। इकाइ वह प्रत्येक व्यक्ति जो आशियाना में निर्मित भवन का स्वामी हो अथवा उनके परिवार का मनोनीत सदस्य हो अथवा भू-उण्ड का स्वामी हो अथवा अधिकृत किरायेदार हो सदस्यता का पात्र होगा परन्तु वह अनिवार्य है कि वह :-

- १। भारत का नागरिक हूँ।
- २। इक्कीस। वर्ष से कम आयु का न हो।
- ३। दन्तित अपराधी, पागल व दीपालिया न हो।

२। यह भी अनिवार्य है कि उसने :-

- १। प्रवेश तुल्क स्पृष्टा ५० केवल। स्पृष्टे पच्चास केवल। रेसोशियन के कोषधरण को अदा कर एसीट प्राप्त कर सके हैं।
- २। निपर्वित सदस्य का पत्र भर कर अध्यक्ष को दिया हो।
- ३। स्पृष्टा पाँच केवल प्रति माह तुल्क या स्पृष्टा ४० वार्षिक बोबाध्यव को दिया हो।
- ४। तीन माह तक सदस्यता तुल्क जमा न करने पर सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
- ५। समाप्त सदस्यता के पुनर्जीवन हेतु शेष धनराशि व स्पृष्टे १०। दस मात्र। अतिरिक्त देय होगा।

५. ~~कैफीत के परिभाषे~~

- (१) वर्ष व मास का तात्पर्य छमज़ः अंगौंजी वर्ष व माह से है।
- (२) वित्तीय वर्ष का तात्पर्य अंगौंजी वर्ष माह अंगैले से प्रारम्भ होकर अंगैले वर्ष माह मार्च के अंत तक ली अधिक होगा।
- (३) संस्था का तात्पर्य आशियाना रेजीडेंट्स स्तोशिरण, आशियाना कोलोनी, लखनऊ से है।
- (४) सदस्यता का तात्पर्य संस्था के सदस्य से है।

..... 30.

पत्र प्रतिक्रिया

हालका १९६१
प्रधान सचिव लोक सभा

१२-१०५-८४

६९ सदस्यता की समाप्ति

सदस्य के मृत्यु होने पर, उसके द्वारा त्यागपत्र दिये जाने पर, उसके निष्कासन/चयुत किस जाने पर, उसके पागल व दिवालिया हौने पर न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किस जाने पर तथा तीन माह तक सदस्यता बुल्ड ज्ञान करने पर सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

७० सदस्यों का निलम्बन व निष्कासन

संस्था के हित के खिलौने कार्य करने पर व संस्था के प्रति अधिक करने की भावना रखने पर सदस्यता का निलम्बन प्रबन्ध कारिणी समिति द्वारा उसकी बैठक में उपस्थिति दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से किया जा सकता है। निलम्बित सदस्य को मतदानका अधिकार नहीं होगा। निलम्बित सदस्य का निष्कासन आम सभा में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किया जा सकेगा।

७१ निष्कासन के बाट नवीन सदस्यता

निष्कासन एवं पदचयुत होने के एक वर्ष बाट उन्हें पुनः नवीन सदस्यता कार्य कारिणी समिति के संस्थानि के अंदर पर की जायेगी।

७० संस्था के अंग — सामान्य सभा

१. इसमें सभी सदस्यों को भाग लेने का अधिकार होगा।
२. वार्षिक सामान्य सभा का सेजड़ा १५ दिन पूर्व भेजा जायेगा।
३. आवश्यकता पड़ने पर सामान्य सभा की विशेष बैठक खुलायी जा सकती है। बसते कि प्रबन्ध कारिणी समिति यह निर्णय ले कि सामान्य सभा की विशेष बैठक बुलाने की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयी हैं। उसकी सूचना १५ दिन पूर्व भेजा अनिवार्य होगा।
४. वार्षिक सामान्य या विशेष बैठक में कोई भी निर्णय उपस्थिति सदस्यों के दो तीहाई बहुमत से होगा।
५. प्रत्येक सदस्य को एक मत त्येक पट हेतु देने का अधिकार होगा।

..... 40.

विशेष बैठक
समिति
प्रबन्ध कारिणी समिति
सदस्यता बुल्ड

21-04-2014

6. उपस्थिति किन्तु मदानमें भाग न लेने वाले सदस्यों को मतगणना प्रयोज्ज्ञ हेतु अनुपस्थित माना जायेगा।
 7. बैठक के लिए सभा के सदस्यों की सक्तीहाँड़ि मंडपा गण पूर्ति मानी जायेगी। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई बैठक के स्थान पर छुलायी गयी बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी। अस्तेरे रेष्टडा वही हो।
 8. बृ. सामान्य सभा के अधिकार व वर्तमान
1. संस्था के कार्यों व सदृदेश्यों की पूर्ति हेतु नीति निर्धारण करना तथा संस्था कार्यक्रमों व योजनाओं का अनुमोदन करना।
 2. प्रबन्ध कारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निवारण करना व रिवत पदों को भरना।
 3. पिछली बैठक दी कार्यवाही की पुष्टि करना।
 4. वार्षिक आय व्यय का अनुमोदन करना।
 5. स्मृति पत्र तथा नियमावली में संशोधन करना।
 6. विगत वर्ष के व्यय के लेखे जोखे का अवलोकन करना।

7. प्रबन्ध कारिणी समिति द्वारा किए गये सदस्यों के निलम्बन की कार्यवाही की पुष्टि करना व निर्णय लेना।
8. प्रबन्ध कारिणी समिति द्वारा पदाधिकारियों के गिरफ्त पारित अविश्वास प्रस्ताव की पुष्टि करना।
9. प्रबन्ध कारिणी समिति द्वारा पदाधिकारियों व सदस्यों के रूपाग पत्र त्वीकार करना।

9क. प्रबन्ध कारिणी समिति

1. निम्नलिखित प्रबन्ध कारिणी समिति का चुनाव रेष्टडा में दिये गये नोटिस के अनुसार सामान्य/विशेष बैठक में तमिति के साधारण सदस्यों में से किया जायेगा।

.....5.

सभा अतिनिधि

सभा अतिनिधि

21-04-19

111 अध्यक्ष
121 संयुक्त मंत्री
151 सम्परीकृथ
171 सदस्य 3

121 महामंत्री
141 जोषाध्यक्ष
161 संगठन मंत्री 3

- 121 प्रबन्धकारीणी समिति का कार्यकाल 12 माह होगा। जो बुनाव के दिनों से अगले माह को तारीख से प्रारम्भ होगा। यदि किन्ती अपरिहार्य कारणों से समय से बुनाव नहीं होता है तब समान प्रबन्धकारीणी समिति ही कार्य करती रहेगी।
- 131 आठत्थिक रिक्तियों की पूर्ति का दशा में पद धारक का कार्यकाल समिति के कार्यकाल तक ही सीमित रहेगा।
- 141 प्रबन्धकारीणी समिति के पदाधिकारियों । अध्यक्ष व महामंत्री को छोड़कर। उसके त्यस्यों के त्याग पत्र अध्यध द्वितीय समान्य सभा ओं अगली बैठक ॥ दी जायेगी। अध्यध/महामंत्री का त्याग पत्र समान्य सभा में रखा जायेगा जो निर्णय लेने में सक्षम होगी।
- 151 प्रबन्धकारी की बैठक आवश्यकतानुसार होगी।
- 171 बैठक के लिए सामन्यता: 7 दिन एजेंडा भेजा जा सकता है विशेष परिस्थितियों में 24 घण्टों पूर्व भी जेजा जा सकता है।
- 181 बैठक की कार्यवाही के अनुमोदन हेतु कार्यवृत्त पर अध्यध/महामंत्री के हस्ताख्य दी जायें।
- 191 यदि ऊई पदाधिकारी तीन बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसे पदमुक्त कर दिया जायेगा।
- 21 इष्ठा प्रबन्धकारीणी समिति के अधिकार व कर्तव्य
- 111 समिति के कार्य संवालन का पूर्णरूप से उत्तरदाद होगा।
- 121 समिति के उद्देश्यों कीपूर्ति नियमावली के अधीन उपनियम/विनियम बनायें। जिन्हें समान्य सभा मेंरखर अनुमोदन करायें।
- 131 वैतनिक कर्मवारियों के देतन, भत्ते तथा अन्य प्रांतिंगिक कार्यालय व्यय मार्ग भत्ता आदि तथ करना।
- 141 समस्त लेहा बोधा महामंत्री द्वारा तेपार किया जायेगा।

.....6.

.. ग विभिन्न

.. ग विभिन्न

.. ग विभिन्न

21-04-19

- 15। सेखे जोखे की जांच के लिये बाहरी सम्मेलन की नियुक्ति सामान्य देखे के अनुमोदन से किया जायेगा । ।
- 16। अध्यक्ष/महामंत्री तथा कोषाध्यक्ष को अग्रिम धनराशि प्राप्तिका करना तथा उसके व्यय का अवलोकन करना ।
- 17। संस्था की ओर से वाद दायर व उसकी पेरवी करना तथा गंभीर किस्त दायर पाटो का प्रतिवाद व पेरवी करना ।
- 18। संस्था द्वारा दायर वाद प्रबन्धकारिषी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार में रहेंगे ।
10. प्रबन्धकारिषी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य-
- 1011। अध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य-
- 11। समिति की बैठक की अध्यधारा करेंगे ।
- 12। कार्यसंचालन हेतु दिग्गज निर्देश देंगे ।
- 13। किसी विषय पर मत बराबर होने पर अध्यक्ष को निर्णय लेने का अधिकार होगा ।
- 14। समिति के सभी दस्तावेजों पर महामंत्री के साय हस्ताक्षर देंगे ।
- 15। संस्था के कार्य हेतु अपने पास 100.00 रुपये तक अग्रिम धनराशि रुप संकेता परन्तु किसी भी दशा में यह धनराशि इससे अधिक नहीं होगा । व्यय का विवरण बाउचर महामंत्री/कोषाध्यक्ष को समय-समय पर प्रेषित करेंगे ।
- 16। किसी भी व्यय पर प्रस्तुत किये गये बाउचर के भुगतान हेतु स्वीकृति दिये जाने पर महामंत्री के हस्ताक्षर के साय-साय अध्यक्ष भी काउन्टर प्रति हस्ताक्षर करेगा ।
- 17। संस्था की ओर से दायर मुकदमों की पेरवी तथा संस्था के विलम्ब दायर मुकदमों का प्रतिवाद व पेरवी करेगा ।
- 18। संस्था के ओर से पत्र व्यवहार करेंगे ।
- 1012। महामंत्री के अधिकार व कर्तव्य-
- 1। प्रबन्धकारिषी समिति की अनुमति से कर्मघारियों को नियुक्ति पत्र देना तथा आकस्मिक परिस्थितियों में जावश्यकतानुसार अनुमोदन की प्रत्याज्ञा में नियुक्ति पर्याप्त करेगा ।

..... 7

मन्त्र प्रतिस्तान

मन्त्र प्रतिस्तान
मन्त्र प्रतिस्तान
21-04-19

- 12। कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना जिसमें निलम्बन, पदमुक्त फरना आदि समिति है।
- 13। सरकार से अथवा अन्य स्त्रोतों से शृण/अनुटान तथा सहायता प्राप्त करने तथा लेहा जोखे के कागजातों पर दस्तावधार करना।
- 14। अध्यक्ष की समिति से संस्था सम्बन्धित समस्त पञ्च व्यवहार करना।
- 15। संस्था की ओर से मोहरों की अभिरक्षा, प्रयोगों तथा अभिलाखों को अभिभ्राण्णि करना।
- 16। संस्था की ओर से दायर मुकदमों की पैरवी तथा संस्था के विरुद्ध दायर मुकदमों प्रतिवाद व पैरवी करने में अध्यक्ष का सहयोग देना।
- 17। प्रबन्धकारिणी समिति के निर्देशों में अथवा अध्यक्ष के निर्देश से समिति की बैठक समय-समय पर छुलाना।
- 18। संस्था के कार्य हेतु 100.00। सौ रुपये। तक अग्रिम रुच सकेगा। फिर्तु किसी भी दशा में इससे अधिक नहीं रुच सकता है। व्यय का विवरण व बात्वार अध्यक्ष कोषाध्यक्ष को समय-समय पर प्रेषित करना।
- 19। अध्यक्ष सर्व कोषाध्यक्ष के संयुक्त दस्तावधार से बैंक के खाते का संचालन करना।
- 10। संयुक्त मंत्री के अधिकार व कर्तव्य
- अध्यक्ष के निर्देशानुसार महामंत्री के निर्धारित कार्यों सम्मानित करना।
- 10। संगठन मंत्री के अधिकार व कर्तव्य
- 1। संगठन से सम्बन्धित समस्त ऐसे कार्य जो अध्यक्ष/महामंत्री द्वारा उपेक्षा की जाये।
- 2। उपनियम/विभिन्नमों के अन्तर्गत सौंपे गये कार्य।
- 3। समिति के संगठन सम्बन्धी समस्त अन्य कार्य।
- 10। कोषाध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य
- 1। अध्यक्ष सर्व महामंत्री के संयुक्त दस्तावधार से संस्था के बैंक खाते का संचालन करना।
- 2। संस्था के आय-व्यय सम्बन्धी लेहा-जोखा रखें। ग्रासिक लेहा विवरण महामंत्री/अध्यक्ष के पास सेजें।
- 3। संस्था के कार्य हेतु 100.00। एक लाठा। रुपये तक अग्रिम धनराशि रुच सकता है। परन्तु पहले धन किसी भी दशा में एक साथ में इससे

.....8.

वित्तियां

१३ अप्रृष्ट धन सांख्यिकी

२१-०८-१४

मिल नहीं होगी । यह दा विवरण बाहर आये/वहाँसी दे तब
तब वह देखित होते ।

14। अप्पे/वहाँसी/ठोकाएँ द्वारा गँड़म घराई है जिसे वह दा
विवरण प्रवस्थार्थी तरिति के लिए मैं प्रस्तुत होते ।

15। अप्पे/वहाँसी द्वारा वाँसी सई लेता तमन्यी पूछता है। उसका
दराना ।

16। तटस्थ के गाँव व संस्कृति-

तंथा के गाँवनामों के बारे में तकनी-तकनी वर बहाई होता व गाँव
बारिती भी लेख में भाव लेता तब तटस्थी पूछता है प्रश्न डरना ।

11. तंथा के निषमः/उषनिषमः/विनिषमों में तंगोप्तम्-

किसी भी प्रकार दा तंगोप्तम् लोहाड़ी रजिस्ट्रेशन एवं के ग्रामिणों के
उत्सार होगा तथा त्रुट्य गाँवी तरिति के दो तिहाई बहुला से बाहर
तीलप्प के उत्सार दिया जायेगा ।

12। तंथा दा लोक-

तंथा दा लोक किसी मान्यता प्राप्त कैसे दा छाँ वर में तंथा के नाम लिखा
बाता लोकहर रखा जायेगा ।

13। तंथा भी गाँव-

तंथा भी गाँव के निम्न नामों होते -

1। प्रधेश गुरु ।

2। तटस्था गुरु ।

3। बेंग गाँव से वर ।

4। खाधन वर गर्भित व्याप ।

5। राज्य व केन्द्र तरांत तथा केंद्र तंथाओं द्वारा गुरुदान ।

6। तटस्थों द्वारा दिया यहा गुरुदान ।

13. ग्राम-पर्याय दा लेता वरीभूत-

तंथा के ग्राम-पर्याय दा लेता तमारीभूत विविध द्वारा ग्राम वितानीय की
के लिए विभिन्न तमारीभूत हो डरावा जायेगा। ग्राम-पर्याय वर वार्ष
स्थानस्थान ही विभिन्न विविध वर वार्षी है ।

... 10

मानव विविध

विविध वर वार्षी

विविध

14. संस्था द्वारा अथवा उनके विस्त्र छालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व- अनुच्छेद 101117 के अनुसार पदाधिकारियों के सहयोग स्वं परामी से अधिक संस्था की ओर से दायर मुकदमों की प्रेरणी तथा संस्था के विस्त्र दायर मुकदमों का प्रतिवाद य प्रेरणी करेगा ।

15. संस्था के अभिलेख

संस्था के निम्नलिखित अभिलेख होंगे -

- 1. सदस्यता रजिस्टर
- 2. कार्यवाही रजिस्टर
- 3. स्टाल रजिस्टर
- 4. केंद्र बुक
- 5. रसीट बुक
- 6. लेटर हेड पैड
- 7. डाक रजिस्टर
- 8. आधिकारिक अन्य अभिलेख ।

16. संस्था का विषटन-

संस्था का विषटन होने पर विषटित सम्पत्ति जारी का नित्यारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तदविधयक प्रातंगित प्राविधानों के अनुसार होगा ।

1. R.K. Dey, K-79, 'Aru' Aashiana Colony, Lucknow-12
(S. Secretary)

2. J.N. Bhartiya, K-16, Basera, Aashiana Colony, Lucknow-12
(C.S. Bhartiya)
President

3. P.K. Choppa, K-23 Basera, AASHIANA COONY-LK-12
(Choppa)
(ORGANISING SECRETARY)

सम्म प्रतिस्तिष्ठि

प्रशासक रामसुख
कर्मचारी का सोचकी

21-04-1999